झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
खान निदेशालय

दिनांक 19.10.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में संपन्न जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) कोष में संकलित राशि एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य सचिव महोदया के द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट में विभिन्न वृहत खनिजों के स्वामिस्व पर प्राप्त अंशदान की राशि की अद्यतन स्थिति एवं इसके उपयोग हेतु की जाने वाली योजनाओं का चयन एवं तत्संबंधित प्रगति पर गहन समिक्षा की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश निम्न प्रकार से दिया गया :–

- मुख्य सचिव महोदया के द्वारा DMFT Fund की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र के जन समुदाय के लाभार्थ प्रथम चरण में पाईपलाईन द्वारा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य पर करने हेतु बल दिया गया। इस कार्य के लिए कार्य योजना पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा तैयार करने का निदेश दिया गया।
- समीक्षा के दौरान पश्चिमी सिंहभूम और रामगढ़ जिलों में खनन प्रभावित क्षेत्रों मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त योजना/DPR तैयार नहीं रहने पर मुख्य सचिव महोदया के द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उनके द्वारा निदेश दिया गया कि चाईबासा एवं रामगढ़ के उपायुक्त एवं प्रधान सचिव पेयजल एव स्वच्छता विभाग आपस में समन्यवय स्थापित कर पर्याप्त संख्या में योजनाओं का DPR तैयार करेंगे।
- मुख्य सचिव महोदया द्वारा निदेश दिया गया कि DMF से संबंधित जिलों को प्राथमिकता देते हुए संबंधित जिलों के खनन प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु Road Map तैयार किया जाय।
- बैठक में विमर्श के क्रम में मुख्य सचिव महोदया के द्वारा निदेशित किया गया कि DMF कोष से प्राप्त राशि के व्यय हेतु प्रत्येक जिलों में प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि से 3 गुणा अधिक राशि का योजनाओं का चयन कर DPR तैयार किया जाय। क्योंकि DMFT में प्राप्त राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होने की संभावना है।
- धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, चतरा आदि बड़े जिलों में पेयजल स्वच्छता विभाग की योजनाओं के साथ ODF के कियान्यवयन हेतु भी निदेश दिया गया। जिस ब्लॉक में ODF का क्रियान्यवयन किया जायगा उसे संपूर्ण–रूपेण उक्त योजना से saturate करने का निदेश दिया गया।
- प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ODF का अनुश्रवण किया जायगा।
- योजनाओं के क्रियान्यवय के क्रम में स्पष्ट निदेश दिया गया कि योजनाओं का चयन DMFT Rule एवं PMKKKY के अनुरूप किया जाय। इसके लिए DPR संबंधित विभाग द्वारा

तैयार कर तकनीकि स्वीकृति दी जायेगी। तकनीकि स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त DMFT Trust के प्रबंधकीय समिति (Executive Committee) के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। योजना का Tendering एवं क्रियान्यवयन सबधित कार्य Line Department द्वारा की जाएगी, जिसमें DMFT में जमा राशि से कार्य कराया जायगा। योजनाओं के अनुश्रवण से संबंधित कार्य Line Department / उपायुक्त के द्वारा किया जाएगा।

- DPR कार्यों के क्रियान्यवयन एवं अनुश्रवण के लिए आवश्यकता के अनुरूप PMU का चयन/Out Sourcing भी किया जा सकता है।

धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया।

ह0 / –

(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक– 2882 / एम0, राँची, दिनांक–22-11-16
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, पेयजल स्वच्छता विभाग / निदेशक, खान / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
खान आयुक्त
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग।